कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर सम्भाग, जयपुर

भूतल, ब्लॉक 3, डॉ. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जे.एल.एन.मार्ग, बजाज नगर, जयपुर - 302015
e-mail - jdedujpr@gmail.com Tel. - 0141-2706849

कार्यालय आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा परीक्षा–2016 विषय संस्कृत में प्रतीक्षा सूची से चयनित एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों में से निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा–मा./संस्था/एफ–1/12102/सी.भ./व.अ./एन.जे./2016 दिनांक 18.07.2023 द्वारा नियुक्ति प्रदान करने हेतु जयपुर संभाग को आवंटित किये गए अभ्यर्थियों के पदस्थापन हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश परिपत्र क्रमांक प.17(7) शिक्षा–2/2016 जयपुर दिनांक 04.03.2018 व निदेशक महोदय के दिशा निर्देश दिनांक 25.09.2018 तथा समय–समय पर जारी परिपत्रों/दिशा–निर्देशों के अनुसरण में दिनांक 24.07.2023 को आयोजित परामर्श कैम्प में उपस्थित होकर पदस्थापन हेतु विकल्प प्रस्तुत करने पर संलग्न सूची में अंकित आशार्थियों को द्वितीय वेतन श्रृंखला वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत विषय) के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम–2017 के अनुसार लेवल–11 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय रुपये 26500/– प्रतिमाह (पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन) पर निम्नानुसार नियुक्ति पर पदस्थापन किया जाता है।

1. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में नियत मानदेय के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन(डीपी), विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होंगे।
2. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कटौतियां की जाएंगी।
3. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जाएगा।
4. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलैण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश ही देय होगा। (वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.12(9)एफ.डी.(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017)
5. चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) भर्ती परीक्षा 2016 के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में दायर डीबीएसएडब्ल्यू संख्या 28/2023 आयोग बनाम दिनेश कुमार चौधरी व अन्य तथा इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओं के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेंगे।

सम्बन्धितसंस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेगें :–

1. अनावश्यक लाभ रोकने के उद्देश्य से आवेदन पत्र एवं नियुक्ति पत्र पर अंकित फोटो से कार्यग्रहण करने वाले अभ्यर्थी का मिलान कर लें और यह सुनिश्चित कर लें कि जिस अभ्यर्थी ने आयोग की परीक्षा दी है, वही अभ्यर्थी नौकरी पर कार्यग्रहण करे।
2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जाये। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
3. कार्यग्रहण कराने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कर सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावें। मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।
4. अन्य पिछडा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात का बना हुआ प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। इसके अतिरिक्त प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि ''अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं पाये जाने पर कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे। उपरोक्तानुसार अन्य पिछडा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछडा वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण कराया जावे।
5. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण सम्बन्धी समस्त दस्तावेजों की जांच आवश्यक रूप से कर लेवें।

Signature valid

Digitally signed by Yogesh Chandra Sharma
Designation : Joint Director
Date: 2023.07.24 17:36:25 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4363673

कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर सम्भाग, जयपुर

भूतल, ब्लॉक 3, डॉ. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जे.एल.एन.मार्ग, बजाज नगर, जयपुर - 302015
e-mail - jdedujpr@gmail.com Tel. - 0141-2706849

6. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से 50/— रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर यह शपथ पत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
7. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 7(1)डीओपी/ए—II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बन्धी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 50/— रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
8. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है तो तत्संबंधी आशय का शपथ पत्र 50/— रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावे।
9. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व घोषणा पत्र प्राप्त किया जाए।
10. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैद्यता सम्बन्धी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैद्य व मान्य पाए जाने के अध्यधीन प्रदान की जा रही है। अतः कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से इस आशय का शपथ पत्र 50/— रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही करने सम्बन्धी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
11. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3)कार्मिक/क—2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्धता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक **16-08-2023** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः की निरस्त माना जावेगा। संबंधित संस्थाप्रधान द्वारा इनके कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था की जावे।

(योगेश चन्द्र शर्मा)
संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

क्रमांक : संनि/स्कूशि/जय/संस्था—2/एफ—नियु/व0अ0संस्कृत/भ.व.2016/2023/**01** दिनांक : **24.07.2023**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है —

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप—2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. शासन उपसचिव, शिक्षा (ग्रुप—2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. शासन उपसचिव, कार्मिक (क—2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
7. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, जयपुर/अलवर/दौसा को संबंधित के मूल आवेदन पत्र सहित प्रेषित कर लेख है कि मूल आवेदन पत्र दो कार्यदिवस में संबंधित विद्यालयों को भिजवाना सुनिश्चित करें।
8. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.......................................
9. सम्बन्धित संस्थाप्रधान को प्रेषित कर लेख है कि मूल आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक जयपुर/अलवर/दौसा से दो कार्यदिवस में प्राप्त कर लेवे।
10. सम्बन्धित आशार्थी (पंजीकृत डाक द्वारा)
11. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा/विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ
12. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Yogesh Chandra Sharma
Designation : Joint Director
Date: 2023.07.24 17:36:25 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4363673

कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर सम्भाग, जयपुर

वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा परीक्षा 2016 विषय संस्कृत में प्रतीक्षा सूची से चयनित एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों के पदस्थापन आदेश संख्या – 01

पद (विषय) – वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत)

क्र.सं.	मैरिट संख्या	विषय	नाम अभ्यर्थी	छाया चित्र	पिता का नाम	स्थाई पता	जन्म दिनांक	CATE	SEL_ CATE	H_ CATE	पदस्थापन स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	R-1580	SANSKRIT	HUKAM SINGH		CHHAGAN SINGH	VILLAGE-BHANKARI, POST-CHANDUPURA, THE-RAJGARH, ALWAR-301414	25-11-1980	GE,BL, RG	GENM	BL	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL TODA JAISINGHPURA (216473), RAJGARH, ALWAR
2	R-1589	SANSKRIT	SUSHMA DEVI		KESHAV DEV GUPTA	KUNDA BAZAR, GOVINDGARH, ALWAR-301604	01-10-1979	GE,WE ,WD	GENF	WD	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GANIPUR (434570), SIKRAI, DAUSA
3	R-1650	SANSKRIT	DEEPMALA		BRIJMOHAN CHANDEL	MODERN TAILORS, MAIN MARKET, KESHORAIPATAN, BUNDI-323601	18-08-1987	SC,WE, DV	SCF	WD	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PAHADIYA SOCIETY (407927), MADHORAJPURA, JAIPUR
4	R-1034	SANSKRIT	MADAN LAL		SHANKAR LAL	WARD NO. 19, ADARSH CHOK, ANUPGARH, SHRIGANGANAGAR-335701	22-01-1984	SC	SCM		GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL HABASPURA (218847), SAMBHAR LAKE, JAIPUR

(योगेश चन्द शर्मा)
संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
जयपुर संभाग, जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Yogesh Chandra Sharma
Designation : Joint Director
Date: 2023.07.24 17:38:00 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4363681

कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर सम्भाग, जयपुर

भूतल, ब्लॉक 3, डॉ. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जे.एल.एन.मार्ग, बजाज नगर, जयपुर - 302015

e-mail - jdedujpr@gmail.com Tel. - 0141-2706849

कार्यालय आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा परीक्षा–2016 विषय संस्कृत में प्रतीक्षा सूची से चयनित एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों में से निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा–मा./संस्था/एफ–1/12102/सी.भ./व.अ./एन.जे./2016 दिनांक 18.07.2023 द्वारा नियुक्ति प्रदान करने हेतु जयपुर संभाग को आवंटित किये गए अभ्यर्थियों के पदस्थापन हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश परिपत्र क्रमांक प.17(7) शिक्षा–2/2016 जयपुर दिनांक 04.03.2018 व निदेशक महोदय के दिशा निर्देश दिनांक 25.09.2018 तथा समय–समय पर जारी परिपत्रों/दिशा–निर्देशों के अनुसरण में दिनांक 24.07.2023 को आयोजित परामर्श कैम्प में अनुपस्थित रहने पर नियमानुसार संलग्न सूची में अंकित आशार्थियों को द्वितीय वेतन श्रृंखला वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत विषय) के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम–2017 के अनुसार लेवल–11 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय रुपये 26500/– प्रतिमाह (पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन) पर निम्नानुसार नियुक्ति पर पदस्थापन किया जाता है।

1. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में नियत मानदेय के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन(डीपी), विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होंगे।
2. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कटौतियां की जाएंगी।
3. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जाएगा।
4. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलैण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश ही देय होगा। (वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.12(9)एफ.डी.(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017)
5. चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) भर्ती परीक्षा 2016 के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में दायर डीबीएसएडब्ल्यू संख्या 28/2023 आयोग बनाम दिनेश कुमार चौधरी व अन्य तथा इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओं के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेंगे।

सम्बन्धित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेगें :–

1. अनावश्यक लाभ रोकने के उद्देश्य से आवेदन पत्र एवं नियुक्ति पत्र पर अंकित फोटो से कार्यग्रहण करने वाले अभ्यर्थी का मिलान कर लें और यह सुनिश्चित कर लें कि जिस अभ्यर्थी ने आयोग की परीक्षा दी है, वही अभ्यर्थी नौकरी पर कार्यग्रहण करे।
2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जाये। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
3. कार्यग्रहण कराने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कर सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावें। मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।
4. अन्य पिछडा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात का बना हुआ प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। इसके अतिरिक्त प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि ''अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं पाये जाने पर कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे। उपरोक्तानुसार अन्य पिछडा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछडा वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण कराया जावे।
5. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण सम्बन्धी समस्त दस्तावेजों की जांच आवश्यक रूप से कर लेवें।

Signature valid

Digitally signed by Yogesh Chandra Sharma
Designation : Joint Director
Date: 2023.07.24 17:36:25 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4363673

कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर सम्भाग, जयपुर

भूतल, ब्लॉक 3, डॉ. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जे.एल.एन.मार्ग, बजाज नगर, जयपुर - 302015

e-mail - jdedujpr@gmail.com Tel. - 0141-2706849

6. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से 50/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर यह शपथ पत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
7. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 7(1)डीओपी/ए–II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बन्धी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 50/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
8. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है तो तत्संबंधी आशय का शपथ पत्र 50/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावे।
9. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व घोषणा पत्र प्राप्त किया जाए।
10. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैद्यता सम्बन्धी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैद्य व मान्य पाए जाने के अध्यधीन प्रदान की जा रही है। अतः कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से इस आशय का शपथ पत्र 50/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही करने सम्बन्धी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
11. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3)कार्मिक/क–2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्धता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक **16-08-2023** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः की निरस्त माना जावेगा। संबंधित संस्थाप्रधान द्वारा इनके कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था की जावे।

(योगेश चन्द्र शर्मा)
संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

क्रमांक : संनि/स्कूशि/जय/संस्था–2/एफ–नियु/व0अ0संस्कृत/भ.व.2016/2023/**02** दिनांक : **24.07.2023**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –
1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. शासन उपसचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. शासन उपसचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
7. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, जयपुर/अलवर/दौसा को संबंधित के मूल आवेदन पत्र सहित प्रेषित कर लेख है कि मूल आवेदन पत्र दो कार्यदिवस में संबंधित विद्यालयों को भिजवाना सुनिश्चित करें।
8. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी..
9. सम्बन्धित संस्थाप्रधान को प्रेषित कर लेख है कि मूल आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक जयपुर/अलवर/दौसा से दो कार्यदिवस में प्राप्त कर लेवे।
10. सम्बन्धित आशार्थी (पंजीकृत डाक द्वारा)
11. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा/विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ
12. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Yogesh Chandra Sharma
Designation : Joint Director
Date: 2023.07.24 17:36:25 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4363673

कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर सम्भाग, जयपुर

वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा परीक्षा 2016 विषय संस्कृत में प्रतीक्षा सूची से चयनित एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों के पदस्थापन आदेश संख्या – 02

पद (विषय) – वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत)

क्र.सं.	मैरिट संख्या	विषय	नाम अभ्यर्थी	छाया चित्र	पिता का नाम	स्थाई पता	जन्म दिनांक	CATE	SEL_ CATE	H_ CATE	पदस्थापन स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	R-12	SANSKRIT	VIJAY KUMAR SHARMA		SURESH CHAND SHARMA	VILLAGE-RAMCHANDRAPURA, POST-KHERA RANIWAS, TEH-KOTKHAWDA, JAIPUR-303908	04-07-1989	GE	GENM		GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SHYALUTA (216440), RAJGARH, ALWAR
2	R-354	SANSKRIT	SANWAR MAL DEVANDA		HANUMAN SAHAY DEVANDA	VILLAGE-RAMPURA DABARI, POST-ANATPURA VIA-JAITPURA, THE-AMBER, JAIPUR-303704	06-12-1986	BC,RG, NG	OBCM		GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL CHOPANKI (465609), TIZARA, ALWAR
3	R-366	SANSKRIT	BAJRANG LAL YOGI		MOOL CHAND YOGI	VILLAGE POST-MORIJA, THE-CHOMU, JAIPUR-303805	09-07-1985	BC	OBCM		GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JAIROLI (215112), TIZARA, ALWAR

(योगेश चन्द शर्मा)
संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
जयपुर संभाग, जयपुर

Signature valid
Digitally signed by Yogesh Chandra Sharma
Designation : Joint Director
Date: 2023.07.24 17:38:00 IST
Reason: Approved